यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, लक्सर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, लक्सर के माह 09/2017 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.10.2020 से 05.11.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग–प्रथम

परिचयात्मक– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.09.2017 से 23.09..2017 तक श्री पी.सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 05/2012 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 09/2017 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र– लक्सर, हरिद्वार

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत
	स्थापना	गैर – स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017–18	–	–	345.66	345.66	4.05	4.05	–	00
2018–19	–	–	475.50	475.50	92.79	92.79	–	00
2019–20	–	–	536.46	536.46	13.10	13.10	–	00
2020–21 (09/20)	–	–	218.96	218.96	5.30	3.11	–	2.19

(**ब**)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2017–18					
2018–19		–	शून्य		
2019–20		–	शून्य		
2020–21 (09/20)		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, उप जिलाधिकारी, लक्सर 'सी' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उप जिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वसिल वाकी नवीस
पेशकार उप जिलाधिकारी
रजिस्ट्रार कानूनगो

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उप जिलाधिकारी, लक्सर की लेखापरीक्षा में लेन–देन–कम–अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप जिलाधिकारी, लक्सर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2018 एवं 11/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर:1 रु 2.15 करोड़ के राजस्व की हानि।

उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 (संशोधन नियमावली, 2015) के अनुसार अवैध खनन कर खनिज सामग्री का परिवहन कर ले जा रहे वाहनों 02 पहिया ट्रैक्टर ट्रॉली, 04 पहिया ट्रैक्टर ट्रॉली, 06 पहिया ट्रक तथा जे सी बी पर क्रमशः रु 50,000, रु 75,000, रु 100,000 एवं रु 200,000 का आर्थिक दंड अधिरोपित किए जाने का प्राविधान था। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना (मई 2016) के अनुसार वाहन में अवैध रूप से ले जाए जा रहे खनिज की मात्रा पर रु 7.00 प्रति कुंतल अर्थात रु 154.00 प्रति घनमीटर की दर से वाहन में लदे हुए खनिज की रॉयल्टी के दोगुने के बराबर अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा खनन पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 तक कुल 342 वाहनो (ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक एवं जे सी बी) पर उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 (संशोधन नियमावली, 2015) के अंतर्गत आर्थिक दंड अधिरोपित किए गए थे। आगे, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर रु 50,000 एवं रु 75,000 के स्थान पर रु 5,000 से 37,000 तक अर्थ दंड अधिरोपित किया गया, ट्रकों पर रु 100,000 के स्थान पर रु 10,000 से रु 50,000 तक के अर्थदंड अधिरोपित किए गए एवं जे सी बी पर रु 200,000 के स्थान पर रु 5,000 से रु 15,000 तक का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इस तरह, उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 (संशोधन नियमावली, 2015) के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्धारित अर्थदण्ड से अत्यधिक कम अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त, खनन पंजिका में ट्रैक्टर के सापेक्ष यह उल्लिखित नहीं किया गया कि उक्त ट्रॉली दो पहिए वाली थी अथवा चार पहिये वाली, इसी प्रकार ट्रक के संदर्भ में भी यह उल्लिखित नहीं किया गया कि उक्त ट्रक 06 पहिया था या उससे अधिक।

उक्त सूचना के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा ट्रैक्टर के प्रकरण में दो पहिया ट्रॉली मानकर तथा ट्रक के प्रकरण में 06 पहिया ट्रक मानकर अधिरोपित अर्थदण्ड में कमी की गणना की गयी, जिसके अनुसार उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित से अत्यधिक कम अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने के कारण राजकीय राजकोष को रु 2.15 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। जिसमें पकड़े गए वाहनों पर परिवहन कर ले जाई जा रही अवैध खनिज सामग्री की मात्रा के सापेक्ष अधिरोपित किए जाने वाला अर्थदण्ड सम्मिलित नहीं है, जैसा कि खनन पंजिका में न तो वाहनों द्वारा परिवहन कर ले जाई जा रही अवैध खनिज सामग्री की मात्रा का ही उल्लेख किया गया और न ही उक्त वाहनों द्वारा परिवहन कर ले जायी जा रही अवैध खनिज सामग्री के सापेक्ष अर्थदण्ड ही अधिरोपित किया गया।

इस प्रकार, उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शासनादेश के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित से अत्यधिक कम अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने के परिणामस्वरूप राजकीय राजकोष को रु 2.15 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर उपजिलाधिकारी ने उत्तर दिया कि प्रश्नगत प्रकरण में जांच कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

राजकीय राजकोष को रु 2.15 करोड़ के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर–01 अर्जित ब्याज एवं अनविज्ञ मदों की धनराशि रू 1.22 करोड़ बैंक खाते में कई वर्षों से अवरूद्ध रखना।

शासन के पत्र संख्या–99/xxvii(14)/2009, तद्दिनांक 3 सितम्बर, 2009 में स्पष्ट उल्लेख कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा(Park) की जाती रही है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम–9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड़–5 भाग–1 के प्रस्तर–21 व 22–बी के विपरीत है तथा यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049–ब्याज प्राप्तियॅ में जमा किया जाय।

कार्यालय, उप जिलाधिकारी, लक्सर के बैंक खाते के स्टेटमेंट तथा सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, लक्सर में बचत खाता संख्या–11589124242 का संचालन किया जा रहा है जो खाता उप जिलाधिकारी के पदनाम से था। उक्त खातें में 28 अक्टुबर,2020 को रू 476880/ की धनराशि जमा थी। जिसमें से रू 40448/ बेटी बचाओं एवं बेटी पढ़ाओं योजना से, रू 60000/ ई–डिस्ट्रीट अनुभाग से सम्बंधित थी जिसका वर्तमान में भुगतान किया जाना था तथा शेष धनराशि रू 376432/ विगत वर्षो से अर्जित ब्याज तथा अनविज्ञ मदों की थी। इसीक्रम में कार्यालय द्वारा एच0 डी0एफ0सी0 बैंक, लक्सर में बचत खाता संख्या–50100156380033 का संचालन किया जा रहा था जो खाता तहसीलदार लक्सर के पदनाम से था। उक्त खातें में 04 नवम्बर,2020 को रू 14751036/ की धनराशि जमा थी। कुल जमा धनराशि में से रू 2937466/कोविड–19, आपदा एवं विज्ञ मदों की थी जिसका वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय किया जा रहा था तथा शेष धनराशि रू 11813570/ अर्जित ब्याज तथा अनविज्ञ मदों की थी अर्थात उक्त दोनो खातों में अर्जित ब्याज एवं अनविज्ञ मदों की कुल धनराशि रू 12190002/(रू 376432+ रू 11813570) विगत कई वर्षों से खातों में अवरूद्ध पड़ी थी जिसका उक्त शासनादेश के अनुसार निस्तारण किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि उक्त अर्जित एवं अनविज्ञ मदों की धनराशि के सम्बंध में उच्चाधिकारी से पत्राचार करके तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
50 / 2017–18	शून्य	01 व 02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
50 / 2017–18	प्रस्तर–01 रू 18000 / राजकीय वाहन की वसूली न किया जाना	अनुपालन आख्या पृथक से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	–	
	प्रस्तर–02 वसूली प्रमाण–पत्र की धनराशि रू 320.00 लाख की वसूली न किया जाना।	–तदैव–		
	STAN-1 गलत संस्तुति किये जाने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न किये जाने के कारण रू 1.54 लाख का अनियमित वितरण।	–तदैव–		

भाग–IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, उप जिलाधिकारी, **लक्सर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः– शून्य
2. सतत् अनियमितताये:– शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री कौस्तुभ मिश्रा	उप जिलाधिकारी	26.09.2016	27.02.2019
2	श्री सोहन सिंह	उप जिलाधिकारी	27.02.2019	26.07.2019
3	श्री पूरण सिंह राना	उप जिलाधिकारी	26.07.2019	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उप जिलाधिकारी, लक्सर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ए0एम0जी0–III को प्रेषित कर दी जाय।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए0एम0जी0–III